वीईई ईएसएस कैपफिन प्राइवेट लिमिटेड

निष्पक्ष ऋण देने की प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

1. संक्षिप्त विवरण

आरबीआई के निष्पक्ष ऋण व्यवहार संबंधी निर्देशों के अनुसार - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क - आरबीआई / 2023-24/53 आर.एम.सी.एस.आर.ई.सी. 28/01.01.001/2023-24 दिनांक 18 अगस्त, 2023 के अनुसार, कंपनी ने दंडात्मक शुल्कों के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार की है। दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का उद्देश्य मूल रूप से ऋण अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना है और ऐसे शुल्कों का उपयोग अनुबंधित ब्याज दर से अधिक राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में नहीं किया जाता है।

2. प्रयोज्यता

यह नीति कंपनी के सभी उधारकर्ताओं पर लागू होगी।

3. उधारकर्ता

उधारकर्ताओं से तात्पर्य उन ग्राहकों से है जिनमें व्यक्ति, एलएलपी, निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां आदि शामिल हैं, जिन्होंने कंपनी से किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

4. चूक की स्थिति

"चूक की स्थिति" से तात्पर्य ऋण अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों और नियमों का उधारकर्ता द्वारा अनुपालन न करना है, जैसा कि संबंधित ऋण समझौते में अधिक विस्तार से परिभाषित किया गया है।

5. सामान्य नियम

i. कंपनी डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में दंडात्मक शुल्क लगा सकती है।
ii. दंडात्मक शुल्क, अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़े जाने वाले 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाए जाएंगे।
iii. दंडात्मक शुल्कों का पूंजीकरण नहीं किया जाएगा, अर्थात् इन शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
iv. कंपनी सामान्य ब्याज लगाएगी और ऋण खाते में ब्याज के चक्रवृद्धि के लिए सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

v. कंपनी ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक नहीं जोड़ेगी और नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

vi. कंपनी किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना दंडात्मक शुल्क लगाएगी।

vii. व्यवसायिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों और अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों और नियमों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क समान होंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा।

viii. कंपनी ऋण समझौते और लागू होने पर सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों/मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में ग्राहकों को दंडात्मक शुल्क की राशि और कारण बताएगी। कंपनी ब्याज दरों और सेवा शुल्क के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट पर भी शुल्क प्रदर्शित करेगी।

ix. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि यदि ऋण की शर्तों और नियमों के उल्लंघन के लिए उधारकर्ताओं को कोई अनुस्मारक भेजा जाता है, तो लागू दंडात्मक शुल्क भी सूचित किए जाएंगे। इसके अलावा, दंडात्मक शुल्क लगाने की किसी भी स्थिति और उसके कारण की जानकारी भी दी जाएगी।

6. दंडात्मक शुल्क

क्रमांक	दंडात्मक शुल्क	अधिकतम शुल्क
1.	ब्याज या मूलधन के भुगतान में चूक	डिफ़ॉल्ट राशि पर 36% प्रति वर्ष/3% प्रति माह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज डिफ़ॉल्ट की तारीख से लेकर ग्राहक द्वारा देय राशि का भुगतान किए जाने तक लागू रहेगा।
2.	चेक बाउंस	• 7500 रुपये से कम या बराबर की EMI पर प्रति किस्त 650 रुपये का शुल्क लगेगा। • 7500 रुपये से अधिक की EMI पर प्रति किस्त 1250 रुपये का शुल्क लगेगा।
3.	NACH/ECS मैंडेट के पंजीकरण न होने के कारण EMI में देरी	• 7500 रुपये से कम या बराबर की EMI पर प्रति किस्त 650 रुपये का शुल्क लगेगा। • 7500 रुपये से अधिक की EMI पर प्रति किस्त 1250 रुपये का शुल्क लगेगा।
4.	ऋण की शर्तों और नियमों का कोई अन्य महत्वपूर्ण उल्लंघन, जिसमें शामिल हैं डिफ़ॉल्ट की घटना	चूक की तारीख से लेकर ग्राहक द्वारा उल्लंघन को नियमित करने तक, चूक राशि पर 36% प्रति वर्ष/3% प्रति माह।
5.	गिरवी रखने के शुल्क	बकाया ऋण का 4%
6.	वाहन ज़ब्ती के आरोप	**i.** दोपहिया वाहन - ₹4500 **ii.** तीन पहिया वाहन - ₹5000 **iii.** चार पहिया वाहन - ₹10000

टिप्पणी:

i. उपरोक्त शुल्क में जीएसटी/टीडीएस आदि जैसे लागू कर शामिल नहीं हैं। अतिरिक्त कर वैधानिक मानदंडों के अनुसार लगाया जाएगा।

ii. कंपनी शुल्कों का लेखा-जोखा केवल नकद आधार पर करेगी।

iii. कंपनी के पास एक सुस्पष्ट प्राधिकार मैट्रिक्स है जिसमें शुल्कों को माफ करने की शक्तियां परिभाषित हैं, ताकि वास्तविक उधारकर्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, जहां देय राशि में देरी उधारकर्ता के नियंत्रण से परे तकनीकी/अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हो।

iv. यदि उत्पाद नीति के आधार पर कोई परिवर्तन आवश्यक हो, तो कंपनी उत्पाद नीति में शुल्कों को परिभाषित कर सकती है। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि शुल्क ऊपर परिभाषित सीमाओं से अधिक न हों।

v. ऋण की शर्तों और नियमों के उल्लंघन या चूक की स्थिति में, कंपनी चूक को नियमित करने के लिए सुधार अवधि प्रदान कर सकती है, और इस सुधार अवधि के दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

7. प्रभावी तिथि 01.04.2024

यह नीति 1 अप्रैल 2024 (जिसे यहाँ "प्रभावी तिथि" कहा गया है) से प्रभावी होगी और इस तिथि से लिए गए/नवीनीकृत सभी नए ऋणों पर लागू होगी। मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था में परिवर्तन अगली समीक्षा या नवीनीकरण तिथि पर या इस परिपत्र की प्रभावी तिथि से निर्धारित समय सीमा के भीतर, जो भी पहले हो, सुनिश्चित किया जाएगा।

8. नीति की समीक्षा/नवीनीकरण

नीति की समीक्षा या नवीनीकरण वार्षिक आधार पर किया जाएगा। कंपनी आवश्यकता पड़ने पर नीति में संशोधन कर सकती है। बोर्ड वित्त समिति को कंपनी द्वारा अनुशंसित आवश्यक संशोधनों को अनुमोदित और स्वीकार करने का अधिकार देता है।

सभी संशोधन और संशोधित नीति को वार्षिक आधार पर समीक्षा और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।